7			विवरणी				
7	अभिनेज जानमधिन । अधिक (अधिक क्रिक						
	पिता वाद्य वार्य अभिलेख						
1	म सलग्न है। अवध/सादग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पुर्याता स्लाम कि ए						
1.	द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगृत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पिडिए। पिडिए। पिडिए। का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान रिलोह कि उनके						
1	रविश्वाराज्या । अस्तुत किया गया। सुनवाई						
1	पास लगान रसीद के अतिरिक्तं अन्य ने के दस्ताले ज प्रति नि						
1	है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त						
है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।							
राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में							
उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीद्गर के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार							
है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया							
है कि विषयगत भिम ग्राम निर्िर्धापिश खाता न० 23/12 प्लॉट न०							
है कि विषयगत भूमि ग्राम							
सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0							
दिनांक 21.12.2017 के कंडिका—5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है							
उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जात रविद्या विता - विदा रविद्या							
नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि							
जान पड़ता है :							
	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा		
	1	2	3	4	5		
1	1		2 1				
-	14/5414/5	57	83/12	1956	0,36 7	0	
1	, ,						
	अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016						
	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017						
	के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार						
	के पत्रांक 1704 / राठ दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार						
	अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।						

Scanned by TapScanner